उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्या168722/XXX(2)/2023-E 49520
देहरादून, दिनांकः 15 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

"उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2023"

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1. (1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2023 है।
	(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 6 का प्रतिस्थापन	2.	"उत्तराखण्ड अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग (सीधी भर्ती) नियमावली, 2004" के नियम 6 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6 . भर्ती का स्रोत– (एक) किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती नियम 9 में यथा उपबंधित शैक्षिक और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी,	6 . भर्ती का स्रोत– (एक) किसी अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में 70 प्रतिशत पदों पर भर्ती नियम 9 में यथा उपबंधित शैक्षिक और अन्य उपबन्धों के आधार पर नियम 17 में निर्दिष्ट चयन समिति/उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी;
(दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल	(दो) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 15/11/2023 10:51 AM

पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, समय–समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी;	पदों के 25 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों के अनुसार उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से 15 प्रतिशत, जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत, जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेंगी;
परन्तु यह कि हाईस्कूल उत्त्तीण श्रेणी के लिए चिन्हित पदों के सापेक्ष पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन पदों को उच्चतर परीक्षा उत्त्तीण अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।	परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय के समूह 'घ' में नियमित पात्र कर्मचारी कार्यरत उपलब्ध न हों, तो उस सीमा तक लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में समूह 'घ' से पदोन्नति हेतु चिन्हित रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जा सकेगा।
परन्तु यह और कि चयन वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक के लिये अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक वर्गीय निम्नतम श्रेणी के कुल पदो के 45 प्रतिशत तक की रिक्तियों को उस कार्यालय के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 25 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 20 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया से भरा जा सकता है।	
(तीन) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदो के 05 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हों, में से पदोन्नति द्वारा।	(तीन) सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय में लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस कार्यालय के वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हों, में से पदोन्नति द्वारा।
	परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधीनस्थ कार्यालय के वाहन चालकों में नियमित पात्र कर्मचारी कार्यरत उपलब्ध न हों तो उस सीमा तक लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में वाहन चालक से पदोन्नति हेतु चिन्हित

enerated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 15/11/2023 10:51 AM

टिप्पणी– लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए, आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक दिए जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए जायेंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

जहां टंकक संवर्ग में भर्ती की जानी हो, वहां उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जाएगी। टंकण परीक्षा में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबन्ध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

रिक्त पदों को उस कार्यालय के समूह 'घ' के कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा।

टिप्पणी– लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती जिस कार्यालय में होनी हो उस कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिए आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए 02 अंक दिए जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 50 अंक निर्धारित किए जायेंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी में टंकण परीक्षा भी ली जाएगी। टंकण परीक्षा में 2400 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 150 अंकों की होगी;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 के उपबन्ध इस नियमावली के अधीन की जाने वाली पदोन्नति पर लागू नहीं होंगे।

Generated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 15/11/2023 10:51 AM

68722/2023

आज्ञा से,

Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 14-11-2023 17:00:29

(शैलेश बगौली)
सचिव।

enerated from eOffice by BILAS GODIYAL, SO-KARMIK SECTION 2-BG, SECTION OFFICER, Personnel and Vigilance Department on 15/11/2023 10:51 AM